CHAPTER X
REFUND

Rule 89 : Application for refund of tax, interest, penalty, fees or any other amount

(1) Any person, except the persons covered under notification issued under section 55, claiming refund of [1]**[**any balance in the electronic cash ledger in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 49 or**]** any tax, interest, penalty, fees or any other amount paid by him, other than refund of integrated tax paid on goods exported out of India, may file [2]**[**, subject to the provisions of rule 10B,**]** an application electronically in **FORM GST RFD-01** through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

[3][****]

[4]**[Provided that]** in respect of supplies to a Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer, the application for refund shall be filed by the—

(a) supplier of goods after such goods have been admitted in full in the Special Economic Zone for authorised operations, as endorsed by the specified officer of the Zone;

(b) supplier of services along with such evidence regarding receipt of services for authorised operations as endorsed by the specified officer of the Zone:

[5]**[**[6]**[Provided further that]** in respect of supplies regarded as deemed exports, the application may be filed by,-

(a) the recipient of deemed export supplies; or

(b) the supplier of deemed export supplies in cases where the

---

1 Inserted by Noti. No. 19/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022 w.e.f. 01-10-2022.

2 Inserted by Noti. No. 35/2021–Central Tax, dt. 24-09-2021. It is made effective from 01-01-2022 by Noti. No. 38/2021–Central Tax, dt. 21-12-2021.

3 **Proviso** omitted by Noti. No. 19/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022 w.e.f. 01-10-2022. Earlier it read as under:
"**Provided** that any claim for refund relating to balance in the electronic cash ledger in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 49 may be made through the return furnished for the relevant tax period in **FORM GSTR-3** or **FORM GSTR-4** or **FORM GSTR-7**, as the case may be:"

4 Substituted for the words "**Provided further** that" by Noti. No. 19/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022 w.e.f. 01-10-2022.

5 Substituted for "**Provided also** that in respect of supplies regarded as deemed exports, the application shall be filed by the recipient of deemed export supplies" by Noti. No. 47/2017-Central Tax, dt. 18-10-2017.

6 Substituted for the words "**Provided also** that" by Noti. No. 19/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022 **w.e.f.** 01-10-2022.

recipient does not avail of input tax credit on such supplies and furnishes an undertaking to the effect that the supplier may claim the refund**]:**

Provided also that refund of any amount, after adjusting the tax payable by the applicant out of the advance tax deposited by him under section 27 at the time of registration, shall be claimed in the last return required to be furnished by him.

[7]**[Explanation**–For the purposes of this sub-rule, "specified officer" means a "specified officer" or an "authorised officer" as defined under rule 2 of the Special Economic Zone Rules, 2006.**]**

[8]**[(1A)** Any person, claiming refund under section 77 of the Act of any tax paid by him, in respect of a transaction considered by him to be an intra-State supply, which is subsequently held to be an inter-State supply, may, before the expiry of a period of two years from the date of payment of the tax on the inter-State supply, file an application electronically in **FORM GST RFD-01** through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that the said application may, as regard to any payment of tax on inter-State supply before coming into force of this sub-rule, be filed before the expiry of a period of two years from the date on which this sub-rule comes into force.**]**

(2) The application under sub-rule (1) shall be accompanied by any of the following documentary evidences in Annexure 1 in **Form GST RFD-01**, as applicable, to establish that a refund is due to the applicant, namely:-

(a) the reference number of the order and a copy of the order passed by the proper officer or an appellate authority or Appellate Tribunal or court resulting in such refund or reference number of the payment of the amount specified in sub-section (6) of section 107 and sub-section (8) of section 112 claimed as refund;

(b) a statement containing the number and date of shipping bills or bills of export and the number and date of the relevant export invoices, in a case where the refund is on account of export of goods [9]**[**,other than electricity**]**;

[10]**[(ba)** a statement containing the number and date of the export

---

7 Explanation inserted by Noti. No. 14/2022–Central Tax, dt. 05-07-2022 w.e.f. 05-07-2022.

8 Sub-rule (1A) along with proviso inserted by Noti. No. 35/2021–Central Tax, dt. 24-09-2021 w.e.f. 24-09-2021.

9 Inserted by Noti. No. 14/2022–Central Tax, dt. 05-07-2022 w.e.f. 05-07-2022.

10 Clause (ba) inserted by Noti. No. 14/2022–Central Tax, dt. 05-07-2022 w.e.f. 05-07-2022.

invoices, details of energy exported, tariff per unit for export of electricity as per agreement, along with the copy of statement of scheduled energy for exported electricity by Generation Plants issued by the Regional Power Committee Secretariat as a part of the Regional Energy Account (REA) under clause (nnn) of sub-regulation 1 of Regulation 2 of the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 and the copy of agreement detailing the tariff per unit, in case where refund is on account of export of electricity;**]**

(c) a statement containing the number and date of invoices and the relevant Bank Realization Certificates or Foreign Inward Remittance Certificates, as the case may be, in a case where the refund is on account of export of services;

(d) a statement containing the number and date of invoices as provided in rule 46 along with the evidence regarding endorsement specified in the second proviso to sub-rule (1) in case of supply of goods made to a Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer;

(e) a statement containing the number and date of invoices, the evidence regarding endorsement specified in the second proviso to sub-rule (1) and the details of payment, along with proof thereof, made by the recipient to the supplier for authorised operations as defined under the Special Economic Zone Act, 2005, in a case where the refund is on account of supply of services made to a Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer;

[11]**[(f)** a declaration to the effect that tax has not been collected from the Special Economic Zone unit or the Special Economic Zone developer, in a case where the refund is on account of supply of goods or services or both made to a Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer;**]**

(g) a statement containing the number and date of invoices along with such other evidence as may be notified in this behalf, in a case where the refund is on account of deemed exports;

(h) a statement containing the number and date of invoices received and issued during a tax period in a case where the claim pertains to refund of any unutilized input tax credit under sub-section (3) of section 54 where the credit has accumulated on account of rate

---

11 Clause (f) substituted by Noti. No. 03/2019-Central Tax, dt. 29-01-2019 w.e.f. 01-02-2019. Earlier to substitution it read as under:

"**(f)** a declaration to the effect that the Special Economic Zone unit or the Special Economic Zone developer has not availed the input tax credit of the tax paid by the supplier of goods or services or both, in a case where the refund is on account of supply of goods or services made to a Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer;"

of tax on the inputs being higher than the rate of tax on output supplies, other than nil-rated or fully exempt supplies;

(i) the reference number of the final assessment order and a copy of the said order in a case where the refund arises on account of finalisation of provisional assessment;

(j) a statement showing the details of transactions considered as intra-State supply but which is subsequently held to be inter-State supply;

(k) a statement showing the details of the amount of claim on account of excess payment of tax;

[12]**[(ka)** a statement containing the details of invoices viz. number, date, value, tax paid and details of payment, in respect of which refund is being claimed along with copy of such invoices, proof of making such payment to the supplier, the copy of agreement or registered agreement or contract, as applicable, entered with the supplier for supply of service, the letter issued by the supplier for cancellation or termination of agreement or contract for supply of service, details of payment received from the supplier against cancellation or termination of such agreement along with proof thereof, in a case where the refund is claimed by an unregistered person where the agreement or contract for supply of service has been cancelled or terminated;

(kb) a certificate issued by the supplier to the effect that he has paid tax in respect of the invoices on which refund is being claimed by the applicant; that he has not adjusted the tax amount involved in these invoices against his tax liability by issuing credit note; and also, that he has not claimed and will not claim refund of the amount of tax involved in respect of these invoices, in a case where the refund is claimed by an unregistered person where the agreement or contract for supply of service has been cancelled or terminated;**]**

(l) a declaration to the effect that the incidence of tax, interest or any other amount claimed as refund has not been passed on to any other person, in a case where the amount of refund claimed does not exceed two lakh rupees:

Provided that a declaration is not required to be furnished in respect of cases covered under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of section 54;

(m) a Certificate in Annexure 2 of **FORM GST RFD-01** issued by a chartered accountant or a cost accountant to the effect that the incidence of tax, interest or any other amount claimed as refund

---

12 Sub-rule (ka) & (kb) inserted by Noti. No. 26/2022–Central Tax, dt. 26-12-2022 w.e.f. 26-12-2022.

has not been passed on to any other person, in a case where the amount of refund claimed exceeds two lakh rupees:

Provided that a certificate is not required to be furnished in respect of cases covered under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of section 54;

[13]**[Provided further** that a certificate is not required to be furnished in cases where refund is claimed by an unregistered person who has borne the incidence of tax.**]**

Explanation–For the purposes of this rule –

(i) in case of refunds referred to in clause (c) of sub-section (8) of section 54, the expression "invoice" means invoice conforming to the provisions contained in section 31;

(ii) where the amount of tax has been recovered from the recipient, it shall be deemed that the incidence of tax has been passed on to the ultimate consumer.

(3) Where the application relates to refund of input tax credit, the electronic credit ledger shall be debited by the applicant by an amount equal to the refund so claimed.

[14]**[(4)** In the case of zero-rated supply of goods or services or both without

---

13 Second proviso inserted by Noti. No. 26/2022–Central Tax, dt. 26-12-2022 w.e.f. 26-12-2022.

14 Sub-rule (4) substituted by Noti. No. 75/2017–Central Tax, dt. 29-12-2017 w.e.f. 23-10-2017. Earlier to substitution it read as under:

"**(4)** In the case of zero-rated supply of goods or services or both without payment of tax under bond or letter of undertaking in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 16 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), refund of input tax credit shall be granted as per the following formula –

Refund Amount = (Turnover of zero-rated supply of goods + Turnover of zero-rated supply of services) x Net ITC ÷Adjusted Total Turnover

Where,-

(A) "Refund amount" means the maximum refund that is admissible;

(B) "Net ITC" means input tax credit availed on inputs and input services during the relevant period;

(C) "Turnover of zero-rated supply of goods" means the value of zero-rated supply of goods made during the relevant period without payment of tax under bond or letter of undertaking;

(D) "Turnover of zero-rated supply of services" means the value of zero-rated supply of services made without payment of tax under bond or letter of undertaking, calculated in the following manner, namely:-

Zero-rated supply of services is the aggregate of the payments received during the relevant period for zero-rated supply of services and zero-rated supply of services where supply has been completed for which

payment of tax under bond or letter of undertaking in accordance with the provisions of subsection (3) of section 16 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), refund of input tax credit shall be granted as per the following formula–

Refund Amount = (Turnover of zero-rated supply of goods + Turnover of zero-rated supply of services) x Net ITC ÷ Adjusted Total Turnover

Where, –

(A) "Refund amount" means the maximum refund that is admissible;

(B) "Net ITC" means input tax credit availed on inputs and input services during the relevant period other than the input tax credit availed for which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both;

[15]**[(C)** "Turnover of zero-rated supply of goods" means the value of zero-rated supply of goods made during the relevant period without payment of tax under bond or letter of undertaking or the value which is 1.5 times the value of like goods domestically supplied by the same or, similarly placed, supplier, as declared by the supplier, whichever is less, other than the turnover of supplies in respect of which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both;**]**

(D) "Turnover of zero-rated supply of services" means the value of zero-rated supply of services made without payment of tax under bond or letter of undertaking, calculated in the following manner, namely:

Zero-rated supply of services is the aggregate of the payments received during the relevant period for zero-rated supply of services and zero-rated supply of services where supply has been completed for which payment had been received in advance in any period

---

payment had been received in advance in any period prior to the relevant period reduced by advances received for zero-rated supply of services for which the supply of services has not been completed during the relevant period;

(E) "Adjusted Total turnover" means the turnover in a State or a Union territory, as defined under *[clause] (112) of section 2, excluding the value of exempt supplies other than zero-rated supplies, during the relevant period;

(F) "Relevant period" means the period for which the claim has been filed."

***** Substituted for "sub-section" by Noti. No. 17/2017-Central Tax, dt. 27-07-2017 w.e.f. 01-07-2017.

15 Clause (C) substituted by Noti. No. 16/2020–Central Tax, dt. 23-03-2020 w.e.f. 23-03-2020. Earlier to substitution it read as under:

"**(C)** "Turnover of zero-rated supply of goods" means the value of zero-rated supply of goods made during the relevant period without payment of tax under bond or letter of undertaking, other than the turnover of supplies in respect of which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both;"

prior to the relevant period reduced by advances received for zero-rated supply of services for which the supply of services has not been completed during the relevant period;

[16]**[(E)** "Adjusted Total Turnover" means the sum total of the value of–

(a) the turnover in a State or a Union territory, as defined under clause (112) of section 2, excluding the turnover of services; and

(b) the turnover of zero-rated supply of services determined in terms of clause (D) above and non-zero-rated supply of services,

excluding–

(i) the value of exempt supplies other than zero-rated supplies; and

(ii) the turnover of supplies in respect of which refund is claimed under sub-rule (4A) or sub-rule (4B) or both, if any,

during the relevant period.**]**

(F) "Relevant period" means the period for which the claim has been filed.

[17]**[Explanation-** For the purposes of this sub-rule, the value of goods exported out of India shall be taken as –

(i) the Free on Board (FOB) value declared in the Shipping Bill or Bill of Export form, as the case may be, as per the Shipping Bill and Bill of Export (Forms) Regulations, 2017; or

(ii) the value declared in tax invoice or bill of supply,

whichever is less.**]**

[18]**[(4A)** In the case of supplies received on which the supplier has availed the

---

16 Clause (E) substituted by Noti. No. 39/2018–Central Tax, dt. 04-09-2018 w.e.f. 04-09-2018. Earlier to substitution it read as under:

"**(E)** "Adjusted Total turnover" means the turnover in a State or a Union territory, as defined under *[clause] (112) of section 2, excluding –

(a) the value of exempt supplies other than zero-rated supplies and

(b) the turnover of supplies in respect of which refund is claimed under sub rules (4A) or (4B) or both, if any, during the relevant period;"

* Substituted for "sub-section" by Noti. No. 17/2017-Central Tax, dt. 27-07-2017 w.e.f. 01-07-2017.

17 Explanation inserted by Noti. No. 14/2022–Central Tax, dt. 05-07-2022 w.e.f. 05-07-2022.

18 Sub-rule (4A) substituted by Noti. No. 3/2018–Central Tax, dt. 23-01-2018 w.e.f. 23-10-2017. Earlier to substitution it read as under:

"**(4A)** In the case of supplies received on which the supplier has availed the benefit

benefit of the Government of India, Ministry of Finance, notification No. 48/2017-Central Tax dated the 18th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1305 (E) dated the 18th October, 2017, refund of input tax credit, availed in respect of other inputs or input services used in making zero-rated supply of goods or services or both, shall be granted**]**.

[19]**[(4B)** Where the person claiming refund of unutilised input tax credit on account of zero rated supplies without payment of tax has –

(a) received supplies on which the supplier has availed the benefit of the Government of India, Ministry of Finance, notification No.

---

of notification No. 48/2017-Central Tax dated 18th October, 2017, refund of input tax credit, availed in respect of other inputs or input services used in making zero-rated supply of goods or services or both, shall be granted."

19 Sub-rule (4B) substituted by Noti. No. 54/2018–Central Tax, dt. 09-10-2018 w.e.f. 09-10-2018. Earlier to substitution for the period 23-10-2017 to 08-10-2017 it read as under:

"[A][**(4B)** In the case of supplies received on which the supplier has availed the benefit of the Government of India, Ministry of Finance, notification No. 40/2017-Central Tax (Rate) dated the 23rd October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1320 (E) dated the 23rd October, 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate) dated the 23rd October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1321(E) dated the 23rd October, 2017 or notification No. 78/2017-Customs dated the 13th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1272(E) dated the 13th October, 2017 or notification No. 79/2017-Customs dated the 13th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1299(E) dated the 13th October, 2017, or all of them, refund of input tax credit, availed in respect of inputs received under the said notifications for export of goods and the input tax credit availed in respect of other inputs or input services to the extent used in making such export of goods, shall be granted."

A. Earlier sub-rule (4B) substituted by Noti. No. 3/2018-Central Tax, dt. 23-01-2018 w.e.f. 23-10-2017. Earlier to substitution it read as under:

"(4B) In the case of supplies received on which the supplier has availed the benefit of notification No. 40/2017-Central Tax (Rate) dated 23rd October, 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate) dated 23rd October, 2017, or both, refund of input tax credit, availed in respect of inputs received under the said notifications for export of goods and the input tax credit availed in respect of other inputs or input services to the extent used in making such export of goods, shall be granted.]"

40/2017-Central Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1320 (E), dated the 23rd October, 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1321(E), dated the 23rd October, 2017; or

(b) availed the benefit of notification No. 78/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1272(E), dated the 13th October, 2017 or notification No. 79/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1299(E), dated the 13th October, 2017,

the refund of input tax credit, availed in respect of inputs received under the said notifications for export of goods and the input tax credit availed in respect of other inputs or input services to the extent used in making such export of goods, shall be granted.**]]**

[20]**[(5)** In the case of refund on account of inverted duty structure, refund of

---

20 Sub-rule (5) substituted by Noti. No. 26/2018–Central Tax, dt. 13-06-2018 w.e.f. 01-07-2017. Earlier to substitution it read as under:

"[A]**[(5)** In the case of refund on account of inverted duty structure, refund of input tax credit shall be granted as per the following formula&&

Maximum Refund Amount = {(Turnover of inverted rated supply of goods and services) x Net ITC ÷ Adjusted Total Turnover} - tax payable on such inverted rated supply of goods and services.

Explanation–For the purposes of this sub-rule, the expressions –

(a) "Net ITC" shall mean input tax credit availed on inputs during the relevant period other than the input tax credit availed for which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both; and

(b) "Adjusted Total turnover" shall have the same meaning as assigned to it in sub-rule (4).]"

A Substituted by Noti. No. 21/2018-Central Tax, dt. 18-04-2018, before it was read as,

"**(5)** In the case of refund on account of inverted duty structure, refund of input tax credit shall be granted as per the following formula -

Maximum Refund Amount = {(Turnover of inverted rated supply of goods) x Net ITC ÷ Adjusted Total Turnover} - tax payable on such inverted rated supply of goods

Explanation–For the purposes of this sub rule, the expressions "Net ITC" and "Adjusted Total turnover" shall have the same meanings as assigned to them in sub-rule (4)."

input tax credit shall be granted as per the following formula:-

Maximum Refund Amount = {(Turnover of inverted rated supply of goods and services) x Net ITC ÷ Adjusted Total Turnover} - [21]**[{tax payable on such inverted rated supply of goods and services x (Net ITC÷ ITC availed on inputs and input services)}]**.

Explanation–For the purposes of this sub-rule, the expressions –

(a) Net ITC shall mean input tax credit availed on inputs during the relevant period other than the input tax credit availed for which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both; and

[22]**[(b)** "Adjusted Total turnover" and "relevant period" shall have the same meaning as assigned to them in sub-rule (4)**]**

---

21 Substituted for "tax payable on such inverted rated supply of goods and services" by Noti. No. 14/2022–Central Tax, dt. 05-07-2022 w.e.f. 05-07-2022.

22 Explanation (b) substituted by Noti. No. 74/2018–Central Tax, dt. 31-12-2018 w.e.f. 31-12-2018. Earlier to substitution it read as under:

"**(b)** Adjusted Total turnover shall have the same meaning as assigned to it in sub-rule (4)."

अध्याय 10
प्रतिदाय

नियम 89 : कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के प्रतिदाय के लिए आवेदन

(1) धारा 55 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों के सिवाय, कोई व्यक्ति, जो [1]**[**धारा 49 की उपधारा (6) के प्रावधानों के अनुसार इलैक्ट्रानिक नकद खाता बही में किसी भी शेष राशि का, या**]** किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस या उसके द्वारा संदत्त किसी अन्य रकम के प्रतिदाय से भिन्न भारत के बाहर निर्यात्ति माल पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है, या तो प्रत्यक्षतः सामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से **प्ररूप जीएसटीआरएफडी–01** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से [2]**[**नियम 10ख के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए**]** आवेदन फाइल कर सकेगा :

[3]**[......]**

[4]**[परन्तु** कि**]** विशेष आर्थिक जोन यूनिट या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को प्रदायों की बाबत, प्रतिदाय के लिए आवेदन–

(क) जोन के विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा यथा पृष्ठांकित प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए विशेष आर्थिक जोन में ऐसे माल को पूर्णतया स्वीकार किए जाने के पश्चात् माल के प्रदायकर्ता द्वारा;

(ख) जोन के विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा यथा पृष्ठांकित प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए सेवाओं की प्राप्ति के बारे में ऐसे साक्ष्य के साथ सेवाओं के प्रदायकर्ता द्वारा फाइल किया जाएगा :

[5]**[**[6]**[परन्तु** यह और भी**]** कि समझे गए निर्यातों के रूप में मानी गई पूर्तियों की बाबत्, आवेदन निम्नलिखित द्वारा फाइल किया जा सकेगा,–

(क) समझी गई निर्यात पूर्तियों का प्राप्तिकर्ता; या

---

1 अधिसूचना क्रमांक 19/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)।

2 अधिसूचना क्रमांक 35/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 38/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।

3 अधिसूचना क्रमांक 19/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा परंतुक विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था:

"**परन्तु** धारा 49 की उप–धारा (6) के उपबंधों के अनुसार इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अतिशेष से सम्बन्धित प्रतिदाय के लिए कोई दावा, यथास्थिति, **प्ररूप जीएसटीआर–3** या **प्ररूप जीएसटीआर–4** या **प्ररूप जीएसटीआर–7** में सुसंगत कर अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी के माध्यम से किया जा सकेगा :"

4 अधिसूचना क्रमांक 19/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा शब्द **''परंतु यह और भी''** प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)।

5 अधिसूचना क्रमांक 47/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 18.10.2017 द्वारा परंतुक प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.10.2017)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह परंतुक इस प्रकार था :

''**परन्तु** यह भी कि निर्यात के रूप में समझे जाने वाले प्रदाय के बाबत् आवेदन निर्यात समझे जाने वाले प्रदाय के प्राप्तकर्ता द्वारा फाइल किया जाएगा :''

6 अधिसूचना क्रमांक 19/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा शब्द ''**परंतु यह भी**'' प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)।

(ख) उन मामलों में जहां प्राप्तिकर्ता ऐसी पूर्तियों पर इनपुट कर प्रत्यय का लाभ नहीं लेता है और इस आशय का वचनबंध देता है कि पूर्तिकर्ता प्रतिदाय का दावा कर सकेगा, वहां समझी गई निर्यात का पूर्तिकर्ता।**]**

परन्तु यह भी कि किसी रकम का प्रतिदाय, रजिस्ट्रेशन के समय धारा 27 के अधीन उसके द्वारा जमा किए गए अग्रिम कर में से आवेदक द्वारा संदेय कर के समायोजन के पश्चात उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित अंतिम विवरणी में दावा की जाएगी।

[7]**[स्पष्टीकरण**—इन उपनियम के प्रयोजनों के लिए, ''विनिर्दिष्ट अधिकारी'' से विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम (2) के अधीन यथा परिभाषित कोई ''विनिर्दिष्ट अधिकारी'' या कोई ''प्राधिकृत अधिकारी'' अभिप्रेत है।**]**

[8]**[(1क)** अधिनियम की धारा 77 के अधीन उसके द्वारा संदत्त किसी कर के प्रतिदाय का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, उसके द्वारा अन्तः राज्य प्रदाय समझे गए संव्यवहार के संबंध में, जो पश्चात्वर्ती अन्तर–राज्य प्रदाय माना गया, अन्तर–राज्य प्रदाय पर कर के संदाय की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पूर्व या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से, कॉमन पोर्टल के माध्यम से प्ररूप **जीएसटी आएफडी–01** में इलेक्ट्रानिक ढंग से आवेदन कर सकेगा :

परन्तु उक्त आवेदन इस उपनियम के प्रभावी होने के पूर्व अन्तर–राज्य प्रदाय पर कर के किसी संदाय के संबंध में उस तारीख से जिस से यह उपनियम प्रभावी होता है दो वर्ष की अवधि के अवसान के पूर्व फाइल किया जाएगा।**]**

(2) उप नियम (1) के अधीन आवेदन, **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–01** के **उपाबंध–1** में निम्ननिलिखित दस्तावेजी साक्ष्यों में जो लागू हो, यह स्थापित करने के लिए कि आवेदक को प्रतिदाय देय है, में से किसी के साथ, होगा :–

(क) आदेश की निर्देश संख्या और प्रतिदाय के रूप में दावा की गई धारा 107 की उपधारा (6) और धारा 112 की उप धारा (8) में विनिर्दिष्ट रकम के संदाय की निर्देश संख्या या ऐसी प्रतिदाय जो समुचित अधिकारी या किसी अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय अधिकरण या न्यायालय के आदेश के परिणामिक हो, द्वारा पारित आदेश की प्रति;

(ख) ऐसा कथन जिसमें संख्या और पोत पत्र की तारीख या निर्यात पत्र और सुसंगत निर्यात बीजक की संख्या तथा तारीख होगी, उस दशा में जहां माल के निर्यात [9]**[**,विद्युत से भिन्न,**]** के संबंध में प्रतिदाय है;

[10]**[(खक)** उस दशा में, जहां प्रतिदाय विद्युत के निर्यात के कारण होता है, वहां, निर्यात बीजकों की संख्या और तारीख अंतर्विष्ट होने वाला विवरण, निर्यातित उर्जा के ब्यौरे, करार

---

7 अधिसूचना क्रमांक 14/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 05.07.2022)।

8 अधिसूचना क्रमांक 35/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा उपधारा (1क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 24.09.2021)।

9 अधिसूचना क्रमांक 14/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 05.07.2022)।

10 अधिसूचना क्रमांक 14/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा खंड (खक) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 05.07.2022)।

के अनुसार विद्युत के निर्यात के लिए प्रति यूनिट टैरिफ के साथ केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 के विनियम 2 के उप विनियम (1) के खंड (ढढढ) के अधीन क्षेत्रीय लेखा उर्जा (आरईए) के भाग के रूप में क्षेत्रीय विद्युत समिति सचिवालय द्वारा जारी उत्पादन संयंत्रों द्वारा निर्यातित विद्युत के लिए अनुसूचित उर्जा के विवरण की प्रति तथा निर्यातित उर्जा के ब्यौरे प्रति यूनिट टैरिफ का उल्लेख करने वाले करार के प्रति;

(ग) ऐसा कथन जिसमें बीजक की संख्या और तारीख तथा यथा स्थिति सुसंगत बैंक वसूली प्रमाण पत्र या विदेश आवक विप्रेषणादेश प्रमाण पत्र है, उस दशा में जहां प्रतिदाय सेवाओं के निर्यात के लिए है;

(घ) ऐसा कथन जिसमें नियम 26 में यथा प्रदत्त बीजक की संख्या और तारीख उप धारा (1) के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट पृष्ठांकन के संबंध में साक्ष्य के साथ है उस दशा में जहां विशेष आर्थिक जोन इकाई या किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को माल के प्रदाय के लिए है;

(ड.) ऐसा कथन जिसमें बीजक की संख्या और तारीख, उप–नियम (1) के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट के पृष्ठांकन के विषय में साक्ष्य तथा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के अधीन यथापरिभाषित प्राधिकृत प्रचालकों के लिए प्रदायकर्ता के प्राप्तकर्ता किए गए संदाय का ब्यौरा उसके सबूत के साथ, उस दशा में जहां प्रतिदाय विशेष आर्थिक जोन इकाई या किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को सेवाओं के प्रदाय के लिए है;

[11]**[(च)** इस प्रभाव की घोषणा की उस दशा में जहां किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के मद्दे प्रतिदाय किया जाता है, वहां विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता से कर का संग्रहण नहीं किया जाएगा।

(छ) ऐसा कथन जिसमें बीजक की संख्या और तारीख इस निमित्त अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे अन्य साक्ष्य के साथ है, उस दशा में जहां प्रतिदाय निर्यात समझे जाने वाले के बाबत है;

(ज) कोई कथन जिसमें प्राप्त तथा कर अवधि के दौरान जारी बीजकों की संख्या और तारीख है, उस दशा में जहां दावा धारा 54 की उप धारा (3) के अधीन किसी अप्रयुक्त निवेश कर प्रत्यय के संबंध में है और जहां प्रत्यय शून्य दर या पूर्णतः छूट प्राप्त प्रदायों से भिन्न है निर्गम प्रदाय पर कर की दर से उच्चतर होने के कारण निवेश पर कर की दर के लेखा के संबंध में संचित किए जा चुके है;

(झ) अंतिम निर्धारण आदेश की निर्देश संख्या और उक्त आदेश की प्रति उस दशा में जहां प्रतिदाय अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने के संबंध में उत्पन्न होता है;

---

11 अधिसूचना क्रमांक 3/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा खंड (च) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"**(च)** इस आशय की घोषणा की विशेष आर्थिक जोन ईकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता ने माल या सेवाओं या दोनों के प्रतिदायकर्ता द्वारा संदत्त करके निवेश कर प्रत्यय को प्राप्त नहीं किया है, उस दशा में प्रतिदाय जहां विशेष आर्थिक जोन ईकाई या किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को माल या सेवाओं के प्रदाय के लिए है ;"

(ञ) अंतर–राज्य प्रदाय के रूप में समझे गए संव्यवहारों के ब्यौरों को दर्शित करता हुआ ऐसा कथन लेकिन जो पश्चातवर्ती रूप से अंतर–राज्य प्रदान माना गया है;

(ट) ऐसा कथन जो कर के अधिक संदाय के संबंध में दावे की रकम के ब्यौरे प्रदर्शित करता हो;

[12][**(टक)** एक विवरण जिसमें बीजक का विवरण शामिल है, अर्थात् संख्या, तारीख, मूल्य, भुगतान किया गया कर और भुगतान का विवरण, जिसके संबंध में धन वापसी का दावा किया जा रहा है, ऐसे बीजकों की प्रति, प्रदायकर्ता को इस तरह के भुगतान का प्रमाण, समझौते या रजिस्ट्रीकृत समझौते या अनुबंध की प्रति, जो भी लागू हो, सेवा की प्रदाय के लिए आपूर्तिकर्ता के साथ दर्ज किया गया, प्रदायकर्ता द्वारा सेवा की आपूर्ति के लिए समझौते या अनुबंध को रद्द करने या समाप्त करने के लिए जारी किया गया पत्र, प्रदायकर्ता से प्राप्त भुगतान का विवरण, इस तरह के समझौते को रद्द करने या समाप्त करने के प्रमाण के साथ, एक मामले में जहां एक अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा धन वापसी का दावा किया जाता है, जहां सेवा की आपूर्ति के लिए अनुबंध या अनुबंध को रद्द या समाप्त कर दिया गया है।

(टख) आपूर्तिकर्ता द्वारा इस आशय के लिये जारी किया गया एक प्रमाण पत्र कि उसने बीजक के संबंध में कर का भुगतान किया है, जिस पर आवेदक द्वारा धन वापसी का दावा किया जा रहा है; कि उसने क्रेडिट नोट जारी करके इन बीजकों में शामिल कर राशि को अपनी कर देयता के विरूद्ध समायोजित नहीं किया है; और यह भी, कि उसने इन बीजकों के संबंध में शामिल कर की राशि की वापसी का दावा नहीं किया है और न ही करेगा, ऐसे मामले में जहां एक अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा धन वापसी का दावा किया जाता है जहां सेवा की आपूर्ति के लिये करार या संविदा रद्द कर दी गई है या समाप्त कर दी गई है;**]**

(ठ) इस आशय की घोषणा कि कर का भाग, ब्याज या प्रतिदाय के रूप में दावा की गई कोई अन्य रकम किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी गई है, उस दशा में जहां प्रतिदाय की रकम दो लाख रूपए से अधिक नहीं है ;

परन्तु यह कि घोषणा धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में की जानी अपेक्षित नहीं है;

(ड) **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–01** के उपाबंध–2 में प्रमाण–पत्र जो किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट या लागत एकाउंटेंट द्वारा इस आशय में जारी किया जाएगा कि कर का भाग, ब्याज या प्रतिदाय के रूप में दावा की गई अन्य कोई रकम किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी गई है उस दशा में जहां दावा किए गए प्रतिदाय की रकम दो लाख रूपए से अधिक हो ;

परन्तु यह कि घोषणा धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में की जानी अपेक्षित नहीं है;

---

12 अधिसूचना क्रमांक 26 / 2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा उपनियम (टक) एवं (टख) अंतः स्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)।

[13]**[परंतु** यह और कि उन मामलों में जहां ऐसे अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा धन वापसी का दावा किया गया है जिसने कर भर वहॉ किया हो, प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है।**]**

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए—

(i) धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (ग) में निर्दिष्ट प्रतिदाय की दशा में पद ''बीजक'' से धारा 31 के उपबंधों को पुष्ट करने वाला बीजक अभिप्रेत है;

(ii) जहां कर की रकम प्राप्तकर्ता से वसूल की जा चुकी है तो यह समझा जाएगा कि कर का भार वास्तविक उपभोक्ता पर चला गया है।

(3) जहां आवेदन निवेश कर प्रत्यय के प्रतिदाय से संबंधित है वहां इलेक्ट्रानिक प्रत्यय बही ऐसे दावा किए गए प्रतिदाय की रकम के बराबर आवेदक द्वारा विकलित किया जाएगा।

[14]**[**(4) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 16 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन कर का संदाय किए बगैर माल

---

13 अधिसूचना क्रमांक 26/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा परंतुक अंतः स्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)।
अधिसूचना क्रमांक 75/2017—केंद्रिय कर, दिनांक 29.12.2017 द्वारा उपधारा (4) प्रतिस्थापित। (प्रभावशील दिनांक 23.10.2017)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

14 अधिसूचना क्रमांक 75/2017—केंद्रिय कर, दिनांक 29.12.2017 द्वारा उपधारा (4) प्रतिस्थापित। (प्रभावशील दिनांक 23.10.2017)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

(4) माल या सेवा या दोनों के शून्य—दर प्रदाय की दशा में एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 16 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में वचन—पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय के बिना निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार प्रदाय किया जाएगा —

प्रतिदाय = (माल के शून्य दर प्रदाय का व्यापार आवर्त + सेवा के शून्य दर प्रदाय का व्यापार आवर्त) x सकल आई टी सी ÷ समायोजित कुल व्यापार आवर्त

जहां :

(अ) ''प्रतिदाय रकम'' से अधिकतम प्रतिदाय जो अनुज्ञेय है, अभिप्रेत है;

(आ) ''शुद्ध आईटीसी'' से सुसंगत अवधि के दौरान निवेश और आवक सेवाओं पर लिया गया निवेश कर प्रत्यय अभिप्रेत है;

(इ) ''माल के शून्य दर प्रदाय का टर्नओवर'' से वचन—पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए माल के शून्य दर प्रदाय का मूल्य अभिप्रेत है;

(ई) ''सेवा के शून्य दर प्रदाय का व्यापारआवर्त'' से वचन—पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए सेवा के शून्य दर प्रदाय का मूल्य अभिप्रेत है जो निम्नलिखित रीति में संगणित किया जाएगा अर्थात्,

''सेवा के शून्य दर प्रदाय, सेवा के शून्य दर प्रदाय के लिए सुसंगत अवधि के दौरान प्राप्त किए गए संदायों का योग है और सेवा के शून्य दर प्रदाय जहां प्रदाय पूरा किया जा चुका है जिसके लिए संदाय अग्रिम में किसी अवधि के पूर्ण सेवा के शून्य दर प्रदाय के लिए प्राप्त अग्रिमों द्वारा सुसंगत अवधि के लिए कटौती की जा चुकी है जिसके लिए सेवा का प्रदाय उस सुसंगत अवधि के दौरान पूरा नहीं किया गया है;

(उ) ''समायोजित कुल व्यापारआवर्त'' से धारा 2 की *[खंड (112)] के अधीन यथा परिभाषित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सुसंगत अवधि के दौरान शून्य दर प्रदायों से भिन्न छूट प्रदायों के मूल्य को छोड़कर व्यापारआवर्त अभिप्रेत है;

(ऊ) ''सुसंगत अवधि'' से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए दावा किया गया है।

या सेवाओं या दोनों के शून्य दर प्रदाय की दशा में इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित सूत्र के अनुसार दिया जाएगा,–

प्रतिदाय की रकम = (माल के शून्य दर प्रदाय का आवर्त + सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त) x शुद्ध आई टी सी ÷ समायोजित कुल आवर्त

जहां,–

(अ) ''प्रतिदाय की रकम'' से ऐसा अधिकतम प्रतिदाय अभिप्रेत है जो अनुज्ञेय हो;

(आ) ''शुद्ध आई टी सी'' से ऐसे उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय से भिन्न जिसके लिए उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है, ऐसी सुसंगत अवधि के दौरान इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है;

15**[(इ)** ''मालों का शून्य–दर पूर्ति का आवर्त'' का अर्थ बंधपत्र या उपक्रम पत्र या कीमत के अधीन कर के संदाय के बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए मालों की शून्य दर की पूर्ति की कीमत है जो प्रदायकर्ता द्वारा यथाघोषित् वही या समान रूप से रखे गए प्रदायकर्ता द्वारा घरेलू मालों की पूर्ति के बराबर की कीमत का 1.5 गुना है, जो उपनियम 4(क) या उपनियम 4(ख) या दोनों के अधीन वापसी के लिए दावा किया गया है, के संबंध में पूर्तियों से भिन्न व्यापारवर्त से कम है;**]**

(ई) ''सेवाओं के शून्य दर प्रदाय के आवर्त'' से बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन कर संदाय बिना निम्नलिखित रीति में संगणित किए गए सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का मूल्य अभिप्रेत है, अर्थात् :

सेवाओं का शून्य दर प्रदाय, सेवाओं के शून्य पर प्रदाय के लिए सुसंगत अवधि के दौरान प्राप्त संदायों का योग है और संदायों का शून्य प्रदाय जहां प्रदाय पूर्ण हो गया है जिसके लिए सुसंगत अवधि से पहले की किसी अवधि में अग्रिम के तौर पर संदाय प्राप्त हुआ था जिसे सेवाओं के शून्य दर प्रदाय के लिए प्राप्त अग्रिमों द्वारा घटाया गया है जिसके लिए सुसंगत अवधि के दौरान सेवाओं का प्रदाय पूर्ण नहीं हुआ है;

16**[(उ)** ''समायोजित कुल आवर्त'' से सुसंगत अवधि के दौरान–

---

* अधिसूचना क्रमांक 17/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.07.2017 द्वारा ''उप–धारा'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

15 अधिसूचना क्रमांक 16/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2020 द्वारा खंड (इ) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.03.2020)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थे :–

(इ) ''माल के शून्य दर प्रदाय के आवर्त'' से ऐसे प्रदायों के आवर्त से भिन्न, जिसके संबंध में उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन कर के संदाय के बिना सुसंगत अवधि के दौरान किये गये माल के शून्य दर प्रदाय का मूल्य अभिप्रेत है।

16 अधिसूचना क्रमांक 39/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 04.09.2018 द्वारा खंड (उ) स्थापित (प्रभावशील दिनांक 04.09.2018)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

''**(उ)** ''समायोजित कुल आवर्त'' से सुसंगत अवधि के दौरान,–

(क) शून्य दर प्रदायों के भिन्न छूट प्राप्त प्रदायों के मूल्य और

(ख) ऐसे प्रदायों का आवर्त, जिसके संबंध में उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा, यदि कोई हो, किया गया है,

(क) धारा 2 के खंड (112) के अधीन यथा परिभाषित, किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त का, सेवाओं के आवर्त को छोड़कर; और

(ख) उपरोक्त खंड (ई) के निबंधनों में अवधारित सेवाओं के शून्य–दर प्रदाय और सेवाओं के गैर–शून्य दर प्रदाय के आवर्त के कुल योग अभिप्रेत है, जिसमें,–

(i) शून्य–दर प्रदायों से भिन्न छूट प्राप्त प्रदायों का मूल्य; और

(ii) ऐसे प्रदायों का आवर्त, जिनके संबंध में उपनियम (4अ) या उपनियम (4आ) या दोनों के अधीन प्रतिदाय, यदि कोई हो, का दावा किया गया है,

सम्मिलित नहीं है। **]**

(ऊ) ''सुसंगत अवधि'' से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए दावा फाइल किया गया है।

[17]**[स्पष्टीकरण**– इस उपनियम के प्रयोजनों के लिये, भारत से बाहर निर्यात किये गये माल का मूल्य निम्नलिखित के रूप में माना जायेगा –

(i) पोत परिवहन पत्र और निर्यात पत्र (प्ररूप) विनियम 2017 के अनुसार, यथास्थिति, पोत परिवहन पत्र या निर्यात पत्र प्ररूप में घोषित फ्री ऑनबोर्ड मूल्य;

या

(ii) कर बीजक या प्रदाय पत्र में घोषित मूल्य,

इनमें से जो भी कम हो।**]**

[18]**[(4क)** प्राप्त आपूर्तियों की दशा में जिन पर आपूर्तिकर्ता ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 48/2017–केन्द्रीय कर, 18 अक्टूबर, 2017 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.क.नि. 1305 (अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी का लाभ उठाया है को माल या सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति शून्य–दर बनाने के लिए उपयोग की गई अन्य इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय प्रदान किया जाएगा।]

[19]**[(4ख)** जहां कर का संदाय किए बिना शून्य दर प्रदायों के मद्दे उपभोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्ति ने–

को अपवर्जित करते हुए धारा 2 के ***[**खंड (112)**]** के अधीन यथा परिभाषित किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र का आवर्त अभिप्रेत है।''

* अधिसूचना क्रमांक 17/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.07.2017 द्वारा ''उपधारा'' के स्थान पर प्रतिस्थापित हुआ था (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

17 अधिसूचना क्रमांक 14/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा स्पष्टीकरण अंतः स्थापित (प्रभावशील दिनांक 05.07.2022)

18 अधिसूचना क्रमांक 3/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.01.2018 द्वारा उपनियम (4क) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.10.2017)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"**(4क)** ऐसे प्राप्त प्रदायों की दशा में जिन पर प्रदायकर्ता ने अधिसूचना संख्यांक 48/2017–केन्द्रीय कर, तारीख 18 अक्टूबर, 2017 के फायदे का उपभोग किया है, माल या सेवाओं को शून्य दर प्रदाय बनाने में उपयोग किए गए अन्य इनपुटों या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय अनुदत्त किया जाएगा।

19 अधिसूचना क्रमांक 54/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2018 द्वारा उप–नियम (4ख) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 09.10.2018)। दिनांक 23.10.2017 से 08.10.2018 तक यह इस प्रकार था :

(क) ऐसे प्रदाय प्राप्त किए है, जिस पर प्रदायकर्ता ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1320(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 40/2017–केन्द्रीय कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1321(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017–एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 के फायदे का उपभोग किया है; या

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017–सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2017–सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 के या उन सभी के फायदे का उपभोग किया,

वहां ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका माल के निर्यात के लिए उक्त अधिसूचनाओं के अधीन इनपुटों के संबंध में उपभोग किया गया है और ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका अन्य इनपुटों या माल के ऐसे निर्यात में प्रयुक्त विस्तार तक इनपुट सेवाओं के संबंध में उपभोग किया गया है, प्रतिदाय दिया जाएगा।]]

[20][(5) विपरीत शुल्क ढांचा के मद्दे प्रतिदाय की दशा में, इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार दिया जाएगा :

"[A][**(4ख)** प्राप्त आपूर्ति की दशा में, जिन पर आपूर्तिकर्ता ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.क.नि. 1320(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 40/2017–केन्द्रीय कर (दर) तारीख 23 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1321(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017 एकीकृत कर (दर) तारीख 23 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1272(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017–सीमा शुल्क तारीख 13 अक्टूबर, 2017 अथवा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.क.नि. सं. 1299(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2017–सीमा–शुल्क कर तारीख 13 अक्टूबर, 2017 या उन सभी का लाभ उठाया है, को माल के निर्यात के लिए उक्त अधिसूचना के अधीन प्राप्त इनपुट के संबंध में उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय और माल का ऐसा निर्यात करने के लिए उपयोग के विस्तार तक की गई अन्य इनपुट या इनपुट सेवा के संबंध में उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय प्रदान की जाएगी।]"

A पहले अधिसूचना क्रमांक 3/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.01.2018 द्वारा उप–नियम (4ख) अंतःस्थापित किया गया था (प्रभावशील दिनांक 23.10.2017)। उसके पहले यह उप–नियम अधिसूचना क्रमांक 75/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था (प्रभावशील दिनांक 23.10.2017)। चूंकि संशोधन दिनांक 23.01.2018 को प्रभावशील दिनांक 23.10.2017 से किया गया है अतः पहले के प्रावधानों को नहीं दिया जा रहा है।

20 अधिसूचना क्रमांक 26/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 13.06.2018 द्वारा उप–नियम (5) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। पहले अधिसूचना क्रमांक 21/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 18.04.2018 द्वारा यह उप–नियम प्रतिस्थापित किया गया था (प्रभावशील दिनांक 18.04.2018)। चूंकि संशोधन दिनांक 13.06.2018 द्वारा किये गये संशोधन को दिनांक 01.07.2017 से प्रभावशील किया गया है, अतः पहले के प्रावधानों को नहीं दिया जा रहा है।

अधिकतम प्रतिदाय की रकम = {(व्युतक्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय का आवर्त) × शुद्ध आईटीसी ÷ समायोजित कुल आवर्त} – [21][{ऐसे व्युत्क्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय पर संदेय कर × (शुद्ध आईटीसी ÷ इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर लिये गये आईटीसी)}]

स्पष्टीकरण–इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए,–

(क) ''शुद्ध आईटीसी'' पद से सुसंगत अवधि के दौरान, ऐसे उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय से भिन्न, जिसके लिए उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है, इनपुटों पर उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है; और

[22]**(ख)** **''**समायोजित कुल आवर्त'' और ''सुसंगत अवधि'' के वही अर्थ होंगे जो उनके उपनियम (4) में है।

---

21 अधिसूचना क्रमांक 14/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा शब्द ''ऐसे व्युत्क्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय पर संदेह कर'' प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 05.07.2022)

22 अधिसूचना क्रमांक 74/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 31.12.2018 द्वारा खंड (ख) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 31.12.2018)।

प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"**(ख)** ''समायोजित कुल आवर्त'' पद का वही अर्थ होगा जो उपनियम (4) में उसका है।"